

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर जिला डूंगरपुर (राज.)

मिसल नं.- 362

दिनांक:- 29.05.2018

जमीन का 111-128 अक्टो

:: निर्णय ::

प्राथमिक जिला कोदर बदा गोकल लवजी केशवलाल मोगी पिता मावजी पटेल निवासी धुवालिया तहसील डूंगरपुर ने न्याय आदेश द्वारा अधिनियम 2018 लोक अदालत सुन्दरपुर में दिनांक 29.05.2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत का. 111, 128 से.रे.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा धुवालिया पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित आराजी नं. 650/381 कुल रकबा 05 बिस्वा पर प्रार्थीगण मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करते आ रहे हैं और अप्रार्थीगण से आये पिन सीमा (रेडे, चारी) की बात को लेकर विवाद होता है और लडाई झगडा करते है। इस वजह से प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहते है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री केनबी पिता मेगबी पटेल निवासी धुवालिया ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम धुवालिया की जमाबंदी सम्बत् 2072-75 खसरा नं. 650/381 कुल रकबा 05 बिस्वा की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थीगण द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा धुवालिया में स्थित आराजी नं. 650/381 कुल रकबा 05 बिस्वा कुल किता 01 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा धुवालिया में स्थित आराजी नं. 650/381 कुल रकबा 05 बिस्वा कुल किता 01 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, डूंगरपुर भू.अ. निरीक्षक सुरपुर के नेतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू. 500/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

C.N. 2018/00411

(दीपक मेहता)

उपखण्ड अधिकारी

डूंगरपुर